भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1072
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

अदालती मामलों के समाधान का समय

1072. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 वर्षों में देश में दीवानी मामले (जैसे संपत्ति विवाद और अनुबंध प्रवर्तन), आपराधिक मामले (अपराध की गंभीरता के अनुसार वर्गीकृत), पारिवारिक कानून के मामले (तलाक, बाल सुपुर्दगी और भरण-पोषण सहित), वाणिज्यिक विवाद और जनहित याचिकाएँ (पीआएल) सहित विभिन्न प्रकार के अदालती मामलों के निपटारे में लगने वाले औसत समय के आँकड़े क्या हैं ;

(ख) न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों (जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय) में तुलनात्मक औसत समाधान समय क्या है ;

(ग) मामलों के निपटारे में देरी के प्रमुख कारण और लंबित मामलों को कम करने के लिए किए गए सुधार क्या हैं ; और

(घ) प्रत्येक श्रेणी में वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या कितनी है और न्याय प्रदान करने में तेजी लाने के लिए लागू किए जा रहे उपाय क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : सरकार न्यायालय के मामलों के निपटारे में लगने वाले औसत समय का डेटा नहीं रखती है। तथापि, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, न्यायालयों द्वारा सिविल और दांडिक मामलों के निपटारे में लगने वाला समय **उपाबंध-I** पर दिया गया है।

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 22.07.2025 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	सिविल मामले	दांडिक मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	67,964	18,663
2.	उच्च न्यायालय	44,35,763	18,92,051
3.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	1,10,51,761	3,54,96,782

मामलों के निपटारे में देरी के कारणों के संदर्भ में, कई कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारियों की उपलब्धता, मामले से जुड़े तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाहों और वादियों का सहयोग शामिल है। मामलों के निपटारे में देरी के अन्य कारणों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा का अभाव, बार-बार स्थगन और मामलों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुनवाई के लिए समूहों में मामलों को एकत्रित करने की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है।

न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु कई पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः अभियांत्रिकी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान

करने में सहायता मिले। 1993-94 में इस स्कीम की शुरुआत से लेकर अब तक 30.06.2025 तक 12,101.89 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अंतर्गत न्यायालय भवनों की संख्या 15,818 (30.06.2014 तक) से बढ़कर 22,372 (30.06.2025 तक) हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 10,211 (30.06.2014 तक) से बढ़कर 19,851 (30.06.2025 तक) हो गई है।

iii. ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के चरण I और II के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है और 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 2977 साइटों को वैन संयोजकता प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्षम की गई है। वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए 778 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) स्थापित किए गए। 17 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 21 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए, जिन्होंने 2.78 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया और मार्च 2023 तक 384.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया।

ई-न्यायालय परिस्कीम के तीसरे चरण (2023-2027) को 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़कर न्याय में आसानी की व्यवस्था लाना है। इसका उद्देश्य न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृतिम आसूचना (एआई) जैसी नवीनतम तकनीक को शामिल करना है। अब तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में न्यायालय अभिलेख के 506.05 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3.65 करोड़ से अधिक सुनवाई हुई है और 11 उच्च न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग कार्यात्मक है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्रों (सुविधा केंद्रों) की संख्या बढ़कर 1814 हो गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय में मामला प्रबंधन सुनवाई और मौखिक निर्णयों के प्रतिलेखन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।

iv. सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। 01.05.2014 से 21.07.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 70 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1058 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 794 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

निम्न तारीख के अनुसार	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
21.07.2025	25,843	21,122

स्रोतः न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि के मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। 30.06.2025 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराध आदि के मामलों को संभालने के लिए 865 त्वरित निपटान न्यारयालय कार्यात्मक हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों विधानसभा सदस्यों/से जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दी है। 30.06.2025 तक, देश भर के 29 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 392 अनन्य पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित 725 एफटीएससी कार्यात्मक हैं, जिन्होंने 3,34,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोश (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिये सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन मध्यस्थता और सुलह

(संशोधन) अधिनियम 2015, 2019 और 2021 द्वारा समयसीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए किया गया है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थायी संस्था नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक न्यायालयों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	मुकदमे-पूर्व मामले	लंबित मामले	कुल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
2025(मार्च तक)	2,58,28,368	50,82,181	3,09,10,549
कुल	**22,21,01,916**	**5,33,91,016**	**27,54,92,932**

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

30 जून 2025 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले	% वार ब्रेक अप	सलाह सक्षम	% वार ब्रेक अप

लिंग वार				
महिला	44,81,170	39.58%	44,21,450	39.55%
पुरुष	68,39,728	60.42%	67,58,085	60.45%
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	26,89,371	23.76%	26,48,100	23.69%
ओबीसी	35,64,430	31.49%	35,16,236	31.45%
अनुसूचित जाति	35,27,303	31.16%	34,90,737	31.22%
अनुसूचित जनजाति	15,39,794	13.60%	15,24,462	13.64%
कुल	**1,13,20,898**		**1,11,79,535**	

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

****

उपाबंध- 1

<u>'अदालती मामलों के समाधान समय' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1072 जिसका उत्तर 25.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।</u>

मामलों को सुलझाने/निपटाने में न्यायालयों द्वारा लिया गया समय (22.07.2025 तक)

लिया गया समय	उच्चतम न्यायालय		उच्च न्यायालय		जिला और अधीनस्थ न्यायालय	
	सिविल	दांडिक	सिविल	दांडिक	सिविल	दांडिक
1 वर्ष के भीतर	13,675 (67.68%)	8,545 (79.50%)	4,55,893 (64.42%)	4,23,543 (85.26%)	8,21,981 (38.75%)	73,90,610 (70.57%)
1-2 वर्ष	2,135 (10.57%)	872 (8.11%)	56,837 (8.03%)	22,699 (4.57%)	351978 (16.59%)	8,01,406 (7.65%)
2-3 वर्ष	1,004 (4.97%)	305 (2.84%)	33,735 (4.77%)	10,553 (2.12%)	249335 (11.76%)	7,31,028 (6.98%)
3-4 वर्ष	460 (2.28%)	152 (1.41%)	21,993 (3.11%)	6,884 (1.39%)	155430 (7.33%)	3,35,736 (3.21%)
4-5 वर्ष	367 (1.82%)	94 (0.87%)	14,461 (2.04%)	3,831 (0.77%)	110619 (5.22%)	2,16,011 (2.06%)
5-6 वर्ष	690 (3.42%)	187 (1.74%)	22,987 (3.25%)	5,397 (1.09%)	98274 (4.63%)	2,37,649 (2.27%)
6-7 वर्ष	421 (2.08%)	99 (0.92%)	19,989 (2.82%)	4,223 (0.85%)	84635 (3.99%)	1,87,756 (1.79%)
7-8 वर्ष	331 (1.64%)	70 (0.65%)	15,599 (2.20%)	3,822 (0.77%)	58392 (2.75%)	1,37,057 (1.31%)
8-9 वर्ष	413 (2.04%)	69 (0.64%)	11,616 (1.64%)	2,604 (0.52%)	40526 (1.91%)	89,400 (0.85%)
9-10 वर्ष	187 (0.93%)	75 (0.70%)	9,242 (1.31%)	1,886 (0.32%)	33172 (1.56%)	65,616 (0.63%)
10-11 वर्ष	138 (0.68%)	69 (0.64%)	7,444 (1.05%)	1,166 (0.23%)	25545 (1.20%)	50,007 (0.48%)
11-12 वर्ष	82 (0.41%)	120 (1.12%)	5,964 (0.84%)	1,279 (0.26%)	19295 (0.91%)	38,754 (0.37%)
12-13 वर्ष	110 (0.54%)	61 (0.57%)	5,044 (0.71%)	989 (0.20%)	14852 (0.70%)	29,023 (0.28%)
13-14 वर्ष	76 (0.38%)	9 (0.08%)	3,710 (0.52%)	682 (0.14%)	10374 (0.49%)	20,932 (0.20%)
14-15 वर्ष	55 (0.27%)	9 (0.08%)	3,250 (0.46%)	734 (0.15%)	7696 (0.36%)	16,789 (0.16%)
15-16 वर्ष	25 (0.12%)	7 (0.07%)	2,569 (0.36%)	890 (0.18%)	6106 (0.29%)	14,711 (0.14%)
16-17 वर्ष	14 (0.07%)	2 (0.02%)	2,498 (0.35%)	932 (0.19%)	5017 (0.24%)	12,402 (0.12%)
17-18 वर्ष	11 (0.05%)	2 (0.02%)	1,884 (0.27%)	1,097 (0.22%)	3900 (0.18%)	9,379 (0.09%)
18-19 वर्ष	2 (0.01%)	-	1,956 (0.28%)	829 (0.17%)	2971 (0.14%)	8,594 (0.08%)
19-20 वर्ष	1 (0.00%)	1 (0.01%)	1,820 (0.26%)	602 (0.12%)	2728 (0.13%)	8,112 (0.08%)
20-21 वर्ष	-	-	1,443 (0.20%)	518 (0.10%)	2467 (0.12%)	8,429 (0.08%)
21 वर्ष से अधिक	7 (0.03%)	-	7,798 (1.10%)	1,586 (0.32%)	15713 (0.74%)	63,367 (0.61%)

****